

## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उ.प्र.-09/2023-24

दिनांक:-

प्रति,

✓ सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषय:- शासनादेश- 776/दो-4-2023-45(1)/2020 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 11.09.2023 के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त पत्रांक पेंशन विविध/DRY No.53385 दिनांक 26.12.2023
  2. उ.प्र. शासन वित्त (नियुक्ति) अनुभाग-4 संख्या-776/दो-4-2023-45(1)/2020 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट [www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उ.प्र.-09/2023-24/2577

दिनांक:- 10-1-24

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—द्वितीय उत्तरप्रदेश, 20, सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 26.12.2023 के संबंध में सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

114-744251547 114

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-776/दो-4-2023-45(1)/2020 टी.सी.

लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2023

कार्यालय-जाप

मा0 न्यायाधीश श्री पी0 वी0 रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि संस्तुतियों को लागू करने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि संबंधी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 19.05.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं :-

" The revised rates of pension, which have been approved by this Court, shall be payable from 01.07.2023. For the payment of arrears of pension, additional pension, gratuity and other retiral benefits as well, following the Orders dated 27.07.2022 and 18.01.2023, it is directed that 25% will be paid by 31.08.2023, another 25% by 31.10.2023, and the remaining 50% by 31.12.2023".

2- अतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19.05.2023 के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों हेतु पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के संबंध में की गयी संस्तुतियों को स्वीकर किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये

गये हैं:-

Dr. A.O. / Pen (Misc)

Dy. S. G. (Pension & G.E.)

25.08.2023

DA/ 59/33

Date 07/12/2023

(क) पेंशन

(1) दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों की पेंशन

को पेंशन एवं ग्रेच्युटी के समय अंतिम आहरित वेतन का 50% होगी।

Sh. K. S.

Sh. K. S.

(2) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों का पेंशन निर्धारण निम्नवत किया जायेगा:-

(i) पेंशन पुनरीक्षण हेतु भी 2.81 का Multiplier प्रयुक्त होगा।

(ii) पेंशनर की पेंशन, फिटमेंट टेबल (प्रति संलग्न) के उचित स्तर पर रखते हुए, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया जायेगा।

46/31

4/10/23

Pls send the order to Pension Centre

Sh. K. S.

Pen (Misc)



AA/ 2(M)

07/12/23

75946

R-021 163 401

010824



पंजीकृत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग 30प्र०, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.-53385

दिनांक :- 26/12/2023

सेवा में,

Sr. AO/Pension,  
AG(A&E)-Madhya Pradesh,  
Lekha Bhawan, Thane Road,  
Gwalior - 474002

विषय :- शासनादेश- 776/दो-4-2023-45(1)/2020 टी०सी० लखनऊ, दिनांक - 11/09/2023

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

DA-107  
8-1-24

DA -

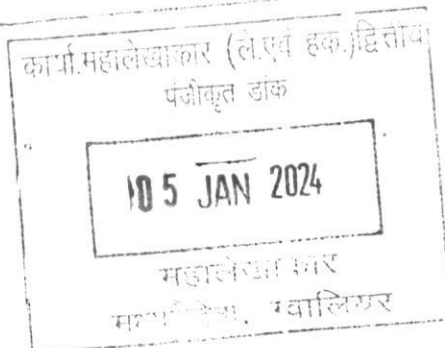
Sh. Arund.

8/1/24

भवदीय

22/12/23

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन विविध



(3) दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में समरूपी स्तर पर रखते हुये उपर्युक्त बिन्दु-(2) के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) दिनांक 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सीधी भर्ती से नियुक्त उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके द्वारा वार में की गयी अधिकतम 10 वर्ष की प्रैक्टिस का लाभ पेंशन हेतु प्रदान किया जायेगा।

**(ख) पारिवारिक पेंशन**

- (1) दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों की पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन का 30% होगी।
- (2) पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, नियम 54 सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के अनुसार परिवार के पात्र सदस्यों को 30% की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
- (3) पारिवारिक पेंशन का निर्धारण उसी तरीके से किया जायेगा, जैसे पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।
- (4) ₹0 30,000/- प्रति माह से कम आय प्राप्त करने वाला आश्रित (पति / पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को छोड़ कर) पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु अर्ह होगा।

**(ग) अतिरिक्त पेंशन की मात्रा/पारिवारिक पेंशन**

- (1) पेंशनर / पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से निम्न तालिका के अनुसार लागू होगी :-

| क्र० सं० | पेंशनधारी / पारिवारिक पेंशनधारी की उम्र | अतिरिक्त पेंशन की राशि                        |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 75 से अधिक एवं 80 वर्ष से कम            | पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20% |
| 2        | 80 से अधिक एवं 85 वर्ष से कम            | पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 30% |
| 3        | 85 से अधिक एवं 90 वर्ष से कम            | पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 40% |
| 4        | 90 से अधिक एवं 95 वर्ष से कम            | पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 60% |
| 5        | 95 से अधिक एवं 100 वर्ष से कम           | पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 80% |
| 6        | 100 वर्ष एवं उससे अधिक                  | पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 100% |

- (2) 65 अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों, जो अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं की जायेगी।

**(घ) ग्रेच्युटी(उपदान)**

- (1) सेवानिवृत्ति उपदान की गणना सी0सी0एस0 (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम-50(1)(ए) के अनुसार की जायेगी।
- (2) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। यह अधिसीमा 25% तक बढ़ायी जायेगी, जब मंहगाई भत्ता 50% हो जायेगा।
- (3) उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगी।
- (4) दिनांक 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारी, जिन्हें पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान (Pre Revised Pay) के अनुसार सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है, को पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अंतर की धनराशि का भुगतान ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा के भीतर रहते हुए किया जायेगा।
- (5) मृत्यु उपदान (Death Gratuity) निम्न तालिका के अनुसार देय होगा :-

| सेवा अवधि                             | मृत्यु उपदान की राशि                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 वर्ष से कम                         | मासिक परिलब्धियों का दो (2) गुणा                                                                                   |
| 01 वर्ष या अधिक, परन्तु 05 वर्ष से कम | मासिक परिलब्धियों का छः (6) गुणा                                                                                   |
| 05 वर्ष या अधिक, परन्तु 11 वर्ष से कम | मासिक परिलब्धियों का बारह (12) गुणा                                                                                |
| 11 वर्ष या अधिक, परन्तु 20 वर्ष से कम | मासिक परिलब्धियों का बीस (20) गुणा                                                                                 |
| 20 वर्ष या अधिक                       | अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिये आधे माह की परिलब्धियां जो परिलब्धियों के तैंतीस (33) गुणा से अधिक न हो। |

**(ड.) अधिवर्षता आयु**

न्यायिक अधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी, जैसा कि वर्तमान समय में है।

(च) मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता

- (1) दिनांक 19.09.2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 54(3) के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा।
- (2) मृत्यु-सह-उपदान के अतिरिक्त एक मुश्त अनुदान, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति, सरकारी आवासों में रहने की अनुमति, आदि की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।
- 3- पेंशन की पुनरीक्षित दरों का भुगतान दिनांक 01.07.2023 से देय होगा। पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, उपदान की राशि तथा अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के एरियर की राशि का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा :-
  - (I) कुल बकाया राशि के 25% का भुगतान तत्काल किया जायेगा।
  - (II) अन्य 25% का भुगतान दिनांक 31.10.2023 तक किया जायेगा।
  - (III) शेष 50% का भुगतान दिनांक 31.12.2023 तक किया जायेगा।
- 4- उपर्युक्त आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-सा-3-08/दस-2023, दिनांक 08 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

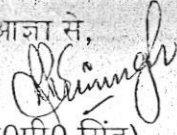
डॉ० देवेश चतुर्वेदी  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-776(1)/दो-4-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महानिवंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (3) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (4) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) समस्त जिला न्यायाधीश (द्वारा महानिवंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)
- (7) निदेशक, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (8) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (9) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचहरी रोड, प्रयागराज।

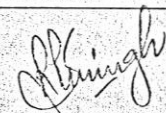
- (11) वित्त(सामान्य) अनुभाग-1/2/3, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- (12) इरला चेक अनुभाग / इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन ।
- (13) श्री संजय कुमार त्यागी, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
- (14) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
  
(आर०पी० सिंह)  
अनु सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-776/दो-4-2023-45(1)/2020 टी.सी., दिनांक 11 सितम्बर, 2023 का संलग्नक.

Fitment Table

| S.N. | Pay as per FNJPC | Existing Pay | New Proposed Pay |
|------|------------------|--------------|------------------|
| 1.   | 9000             | 27700        | 77840            |
| 2.   | 9250             | 28470        | 80180            |
| 3.   | 9500             | 29240        | 82590            |
| 4.   | 9750             | 30010        | 85070            |
| 5.   | 10000            | 30780        | 87620            |
| 6.   | 10250            | 31550        | 90250            |
| 7.   | 10500            | 32320        | 92960            |
| 8.   | 10750            | 33090        | 95750            |
| 9.   | 11050            | 34010        | 95750            |
| 10.  | 11350            | 34930        | 98620            |
| 11.  | 11650            | 35850        | 101580           |
| 12.  | 11950            | 36770        | 104630           |
| 13.  | 12250            | 37690        | 107770           |
| 14.  | 12500            | 38610        | 111000           |
| 15.  | 12800            | 39530        | 114330           |
| 16.  | 13150            | 40450        | 114330           |
| 17.  | 13500            | 41530        | 117760           |
| 18.  | 13850            | 42610        | 121290           |
| 19.  | 14200            | 43690        | 124930           |
| 20.  | 14550            | 44770        | 128680           |
| 21.  | 14900            | 45850        | 132540           |
| 22.  | 15250            | 46930        | 132540           |
| 23.  | 15600            | 48010        | 136520           |
| 24.  | 15950            | 49090        | 140620           |
| 25.  | 16350            | 50320        | 144840           |
| 26.  | 16750            | 51550        | 149190           |
| 27.  | 17150            | 52780        | 149190           |
| 28.  | 17550            | 54010        | 153670           |
| 29.  | 17950            | 55240        | 158280           |
| 30.  | 18350            | 56470        | 163030           |
| 31.  | 18750            | 57700        | 163030           |
| 32.  | 19150            | 58930        | 167920           |
| 33.  | 19600            | 60310        | 172960           |
| 34.  | 20050            | 61690        | 178150           |
| 35.  | 20500            | 63070        | 178150           |
| 36.  | 20950            | 64450        | 183490           |
| 37.  | 21400            | 65830        | 188990           |
| 38.  | 21850            | 67210        | 188990           |
| 39.  | 22350            | 68750        | 194660           |
| 40.  | 22850            | 70290        | 199100           |
| 41.  | 23350            | 71830        | 205070           |
| 42.  | 23850            | 73370        | 211220           |
| 43.  | 24350            | 74910        | 217560           |
| 44.  | 24850            | 76450        | 224100           |

  
(आर०पी० सिंह)  
अनु सचिव।